## Concession Certificate for three categories of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for Orthopaedically Handicapped / Paraplegic (person/patients) who cannot travel without an escort /Persons with intellectual Disability who cannot travel without an escort/Person with Hearing and Speech impairment totally (Both afflictions together in the same person)

| Paste passport size Photograph Duly signed and Stamped by the Issuing Doctor  |   |
|---|---|
| This is to certify that Km/Shri/Smtbonafide:  > ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED / PARAPL TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCO > PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO > PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRM IN THE SAME PERSON)*  | EGIC (PERSON/ PATIENTS), WHO CANNOT<br>ORT<br>CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT |
| Particulars:  a) Address:  b) Father's/Husband's Name:  c) Age:  d) Sex:  e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent):  f) Signature or thumb impression of the person seeking (not necessary for those with both hands missing or no | concession  |
| Place: Date:  | (Signature of Government Doctor)  |
| Clear seal of Government Hospital   | Seal containing full name and<br>Registration Number of the Doctor            |

\*Strike out where not applicable.

1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARPLEGIC (PERSON/PATIENTS) WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT or PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT or PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.

2) For PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of Orthopaedically/Paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (ii) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (iii) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.

3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession across the counter. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.

4) No alternation in the form is permitted. This form could be uploaded alongwith other required document on <a href="https://divyangjanid.indianrail.gov.in/">https://divyangjanid.indianrail.gov.in/</a> for issuance of Divyangjan ID card, for booking of e-tickets also.

## दिव्यांगजन की तीन श्रेणियों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फॉर्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

| ाजसभा विवरण नाव विवा गया है वारतिय न.          |
|--|
| नी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते       |
| कर सकते  |
| ाथ) है *                                       |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| (सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)                   |
|  |
|  |
|  |
|  |
| डॉक्टर के पूरे नाम और पंजीकरण संख्या वाली मोहर |
|  |

## \*जहां लागू न हो उसे काट दें।

- 1) यह प्रमाणपत्र केवल उन्हीं शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज), जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर का आंशिक हिस्सा फोटो पर एवं आंशिक हिस्सा प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो बिना किसी सहचर की सहायता के यात्रा नहीं कर सकते/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा। शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग (व्यक्ति/मरीज) के अस्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अविध के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। वैधता की अविध समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए काउंटर पर इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वीकार की जाएगी। रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4) इस फार्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमित नहीं है। ई-टिकट बुक करने के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ <a href="https://divyangjanid.indianrail.gov.in/">https://divyangjanid.indianrail.gov.in/</a> पर इस फार्म को भी अपलोड किया जाना है।